



कार्यालय मुख्य अभियंता (उत्पादन)

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना,

(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 प्रमाणित विद्युत गृह)
मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, दोंगालिया, जिला-खंडवा (म.प्र.)

E-mail – cegen.sstpp@gmail.com

कं. 515-0100/श्री सिंगाजी/प्रशिक्षण/3839

दोंगालिया, दिनांक 26/11/2025

विज्ञापन

अप्रेंटिस एक्ट 1961 तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता, मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 3 सितम्बर 2025 के आधार पर ग्रेज्यूएट (डिग्री) एवं टेक्निकल (डिप्लोमा) अप्रेंटिस के एक वर्षीय प्रशिक्षण के लिए म.प्र. राज्य के निवासी उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस शासकीय/अशासकीय संस्थान से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन, जनरल स्ट्रीम ब्रांच में ग्रेज्यूएट उत्तीर्ण होना चाहिए तथा टेक्निकल (डिप्लोमा) अप्रेंटिस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए।

ग्रेज्यूएट (डिग्री) अप्रेंटिस

क.	शाखा	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओ.बी.सी.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल योग
1	मैकेनिकल इन्जीनियरिंग	03	01	02	02	—	08
2	इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग	02	02	01	02	01	08
3	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इन्जीनियरिंग	01	—	—	—	—	01
4	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेली कम्यूनिकेशन इन्जीनियरिंग	—	—	—	01	—	01
4	जनरल स्ट्रीम इन्जीनियरिंग	01	01	01	01	01	05
	कुल	07	04	04	06	02	23

टेक्निकल (डिप्लोमा) अप्रेंटिस

क.	शाखा	सामान्य	अ.जा.	अ.ज. जा.	ओ.बी. सी.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल योग
1	मैकेनिकल इन्जीनियरिंग	01	—	—	01	—	02
2	इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग	01	—	01	—	—	02
3	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इन्जीनियरिंग	01	01	—	—	—	02
	कुल	03	01	01	01	—	06

नोट:—

- i. उक्त रिक्तियां केवल म.प्र. राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए हैं। आवेदन पत्र को कार्यालय में जमा करें या डाक द्वारा नीचे दिये गये पते पर भेजें।
पता:— कार्यालय — अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण), श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, डोंगालिया जिला — खण्डवा (म.प्र.) 450112
आवेदन पत्र स्वीकार करने का की अंतिम तिथि दिनांक 29.12.2025 है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक को समय-समय पर अपनी ईमेल आईडी की जाँच करते रहना चाहिए, किसी भी तरह का पत्राचार उनके ईमेल आईडी एवं मोबाइल के माध्यम से ही किया जावेगा। अतः आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपना ईमेल आईडी आवेदन करने से पहले बना लें एवं मोबाइल नंबर सक्रिय रहे जो कम से कम एक साल के लिए वैध हो। (त्रुटिपूर्ण/गलत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का उल्लेख करने या समाय-समय पर ईमेल आईडी नहीं देखने पर पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।)
- ii. विभिन्न वर्गों का आरक्षण, म.प्र. शासन के नियमानुसार किया जावेगा।
- iii. अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- iv. इस वर्ग में समय-समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से भरा जायेगा।

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्तें:—

1. शैक्षणिक योग्यता — शासन के नियमानुसार संबंधित विषय में।

(अ) ग्रेज्यूएट (डिग्री) अप्रेंटिस— मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (B.E.)/ बी. टेक.(B.Tech.)/ बी. फार्मा. (B.Pharma)/ बी.सी.ए.(B.C.A.)/ बी. बी.ए.(B.B.A.)/ बी.ए.(B.A.)/ बी. कॉम.(B.Com)/ बी. एस.सी.(B.S.C) डिग्री में उत्तीर्ण।

(ब) टेक्निकल (डिप्लोमा) अप्रेंटिस - मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में डिप्लोमा।

2. पात्रता-

(अ) उम्मीदवार इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप योजना के अन्तर्गत किसी भी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो।

(ब) प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा/व्यवसाय में कुल प्राप्तांको (सी.जी.पी.ए.) की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर किया जावेगा।

3. प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर म.प्र.पा.ज.कं.लि. द्वारा नियुक्ति देने की बाध्यता नहीं होगी।

4. आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

5. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

6. ग्रेज्यूएट (डिग्री) तथा टेक्निकल (डिप्लोमा) उत्तीर्ण आवेदकों को NATS (National Apprenticeship Training Scheme) अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। आवश्यक दिशानिर्देश हेतु आवेदक समय समय पर अपनी ई-मेल आई.डी. तथा कंपनी की वेबसाइट <http://mppgcl.mp.gov.in/carreers.html> भी देखते रहे।

7. अनु.जाति/अ.ज.जा./ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण दिशानिर्देश एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रहेगा।

8. किसी भी प्रशिक्षु के चयन/निरस्त करने का अधिकार बिना कोई कारण बताये म.प्र. पा.जन.कं.लि. डोगलिया खण्डवा अपने पास सुरक्षित रखेगा।

9. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

10. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को सुरक्षा की दृष्टि से कम से कम एक वर्ष का दुर्घटना संबंधी बीमा (Accidental Insurance) चयनित दिनांक से करवाना आवश्यक होगा, जिसकी पॉलिसी की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।

11. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति, 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध इत्यादि कार्यालय में उपलब्ध कराना जाना आवश्यक होगा।

12. आवेदन से सम्बंधित विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाइट <http://mppgcl.mp.gov.in/carreers.html> पर उपलब्ध है।

13. आरक्षण एवं आयु में छूट :-

- चयन प्रक्रिया में अनु. जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग आरक्षण नियम (संशोधित) 2015 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। यदि अनु.जाति/अ.ज.जा. संवर्ग में निर्धारित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जायेगा। तदोपरांत रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों से भरा जा सकेगा।

- ii. सभी वर्गों में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की संगणना तिथि 29.12.2025 के आधार पर की जावेगी।
- iii. सामान्य वर्गों के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी तथा अनु. जाति/अ.ज.जा./अ.प.वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट रहेगी।
- iv. शिक्षता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष रहेगी।

14. चयन प्रक्रिया :-

- i. आर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदकों की छटाई की जावेगी। प्राप्त हुए आवेदनों में सीजीपीए (सेमेस्टर के औसत) अंकों के प्रतिशत के आधार पर प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जावेगा।
- ii. उम्मीदवार केवल एक ही व्यवसाय/शाखा में आवेदन भर सकता है।
- iii. निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
- iv. चयनित पात्र प्रशिक्षण हेतु बुलाया जायेगा।
- v. प्रशिक्षु का NATS Portal पर Registration Approval के लिए उस दिनांक पर प्रशिक्षु का उत्तीर्ण होने की दिनांक 05 वर्ष (वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) से ज्यादा नहीं होना चाहिए अन्यथा उनका Registration Approval नहीं होगा। Approval न होने की स्थिति में उनका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

15. स्टाइपेण्ड:-

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाइपेण्ड देय होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है:-

क्र.	आर्हता	मसिक स्टाइपेण्ड (रु0 में)
1	ग्रेज्यूएट(डिग्री) अप्रेंटिस	12300/-
2	टेक्निकल (डिप्लोमा) अप्रेंटिस	10900/-

नोट:- इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/लाभ की पात्रता नहीं होगी।

16. चिकित्सा/स्वास्थ्य मानक:-

- i. चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र (Certificate of Medical Fitness) जो कि शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला चिकित्सालय के प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, उम्मीदवारों द्वारा ज्वाइनिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है। चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र का प्रारूप (Annexure-I) संलग्न है।

17. महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्त :-

- i. उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर ले कि, शिक्षता प्रशिक्षण के लिये योग्यता रखते हैं तथा उनके द्वारा दी गयी सभी जानकारी सही है।

- ii. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि, उम्मीदवार निर्धारित आर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं और हमारी आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते हैं। अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जायेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी कार्यवाही की जा सकती है।
- iii. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरे, चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी।
- iv. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निपटारा शिक्षुता अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के आधार पर किया जावेगा।
- v. उम्मीदवार चयन हेतु श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि., डोंगालिया, खण्डवा द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- vi. शिक्षुता अवधि में अभ्यर्थियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिवस ऐच्छिक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी।
- vii. श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि., डोंगालिया, खण्डवा को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रद्द करने/सीमित करने/बढ़ाने का अधिकार होगा।
- viii. चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जायेगी।
- ix. उम्मीदवार ध्यान रखें कि, प्रशिक्षण अधिनियम 1961 की कंडिका 22(1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि., डोंगालिया खण्डवा किसी भी उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।
- x. शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडिका 2(1) एवं (2) के अनुसार प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र प्रदान किया जावेगा।
18. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर प्रशिक्षु स्वयं जिम्मेदार होगा। म.प्र.पा.ज.कं.लि., की इसके लिए क्षतिपूर्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
19. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से कार्यालय – अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण), श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म.प्र.पा.ज.कं.लि डोंगालिया खण्डवा (म.प्र.) 450112 के पते पर जमा/प्रेषित करना होगा।

SK DAWAN

अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण)

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना



मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

कार्यालय : मुख्य अभियंता (उत्पादन)

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, दोंगालिया, जिला खंडवा

(ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018 प्रमाणित विद्युत गृह)

Email:- cegen.sstpp@gmail.com

क्र. 515-0100 / श्रीसिंगाजी / प्रशिक्षण /

दोंगालिया, दिनांक / / 2025

ग्रेज्यूएट (डिग्री) एवं टेक्निकल (डिप्लोमा) अप्रेंटिस के प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र
आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण)

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, दोंगालिया

- वर्ग-
- आवेदक का पूरा नाम
- पिता/पति का नाम
- लिंग (महिला/पुरुष)
- जन्म तिथि
- पत्र व्यवहार का पता
- मोबाइल नम्बर
- ईमेल आईडी
- क्या अनुजाति/अनुजनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग में आते हैं यदि हाँ तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- क्या पूर्व में अप्रेंटिस एक्ट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है यदि हाँ तो उसका विवरण
- शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता:-

परीक्षा/शाखा	संस्थान का नाम	सत्र	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

संलग्न सहपत्र (सत्यापित प्रतिलिपियाँ)

- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- ग्रेज्यूट (डिग्री)/टेक्निकल(डिप्लोमा) अंकसूची व प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (अजा/अजजा/अपिव)/विकलांगता प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र/10वीं कक्षा की अंकसूची
- पुलिस (चरित्र) सत्यापन
- एक वर्षीय दुर्घटना-बीमा
- चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं आत्मज/आत्मजा
प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी पूर्णरूप से सत्य है।
असत्य/अपूर्ण जानकारी पाये जाने पर म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यवाही हेतु मैं
जिम्मेदार रहूँगा।

CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS

The medical certificate should be signed by Government authorized Doctor (Gaz.), not below the rank of Asst. Surgeon of Central/State Hospital.

01. Name (In Block letters) S/D of.....

02. Age....., Height....., Weight....., Chest Expansion.....

03. Vision in each Eye:

04. Hearing in both Ears:

05. Skin Whether any evidence of acute or chronic skin disease of chronic ulceration.

06. Speech:

07. Alimentary System:(a) Sugar in Urine.....,(b) Hernia/Hydrocele/Piles.....

(c) Remarks, if any other disorder found.....

08. Cardio Vasular System:(a) Blood Pressure.....

(b) Remarks, if any other disease is found.....

09. Respiratory System:

10. Genito Urinary System:

11. Skeletal System:

12. Nervous System:

13. Glandular System: Whether any evidence of tuberculosis/ or other disease of glandular system Including endocrine glands.....

I certify that I have examined Mr./Ms..... Son/
Doughter ofThe standard of physical fitness has been checked as
per SCHEDULE-II (Rule-4) of Apprentices Rules 1992. He/She is physically fit for being engaged
as an apprentices in a branch/Trade under the Apprentices
Act. 1961.

.....
Signature of the candidate

Signature of the Medical Officer

With legible seal